

राज्य सेक्टर योजना:-

1. डेरी विकास योजना:-

- **प्रबंधकीय अनुदान:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से संघ स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबंधकीय स्टाफ, ग्रुप सचिवों को राजकीय अनुदान के रूप में मानदेय 5,330.00 रु0 प्रति ग्रुप सचिव/ कार्यालय श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
- **यातायात योजना:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातायात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- **अवस्थापना सुविधायें:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों को सिविल कार्य व प्लाण्ट मशीनरीज मदों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढीकरण का कार्य किया जाता है।

2. गंगा गाय महिला डेरी योजना:-

- योजना अन्तर्गत ग्राम स्तर पर गठित दुग्ध सहकारी समितियों की 4795 महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 01 संकर नस्ल की दुधारु गाय उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु उन्हें बैंक ऋण व अनुदान भी उपलब्ध करवाया जायेगा। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी के दुधारु पशुओं के लिए पशुशाला व पशु नॉद निर्माण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रथम वर्ष 2014-15 में 366 पशुकय किया गया। द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः 4,285 एवं 4,939 सहित तीन वर्षों में कुल 9,590 पशुकय का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 52,000 ईकाई लागत प्रस्तावित है, जिसमें से 27,000 राजकीय अनुदान, 20,000 बैंक ऋण तथा 5,000 लाभार्थी अंश सम्मिलित है।

3. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:-

- इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को मु० 4.00 रु० प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को मु० 3.00 रु० प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राजअनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

4. महिला डेरी विकास योजना:-

- प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीवकोपार्जन हेतु आय-व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन- रु० 53,85,300.00 प्रति समिति, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार-रु० 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।